

1	विभाग का नाम	जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र
2	योजना का नाम	मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना
3	योजना की संक्षिप्त टिप्पणी	उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2016 के प्रस्तर-2.4.3 के अन्तर्गत सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ा देने के लिए युवा स्वरोजगार योजना संचालित किये जाने के प्राविधानुसार "मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना" संचालित है, जिसके माध्यम से शिक्षित युवा/युवतियों को रोजगार परक बनाया जाता है।
4	पात्रता की अर्हता	1-योजनान्तर्गत अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिये। 2-विनिर्माण/सेवा क्षेत्र हेतु लाभार्थी की शैक्षिक योग्यता न्यूनतम 10वीं पास होना अनिवार्य है।
5	आवेदन करने की प्रक्रिया	अभ्यर्थी को कार्यालय जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र में किसी भी कार्यालय दिवस में आवेदन पत्र प्राप्त कर सभी आवश्यक प्रपत्रों को पूर्ण करते हुए आवेदन पत्र दो प्रतियों में कार्यालय में प्रस्तुत करना होता होता है।
6	लिंक वेबसाईट	आवेदन पत्र हार्ड प्रति में ही उपलब्ध कराया जाता है, योजनान्तर्गत कोई लिंक नहीं है।
7	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के महा प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र अथवा संयुक्त निदेशक, उद्योग, मेरठ मण्डल से सम्पर्क किया जा सकता है।